

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पर वकील प्राथी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित एवं वकील अप्रार्थी श्री नारायणसिंह सेसली की बहस सुनी गई। वकील प्राथी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम सेसली में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1053/966, 1054/966, 1055/966 के पडोसी खसरा नंबर 967 के खातेदारान कमलादेवी पत्नि भंवरसिंह वगैरा के मध्य सीमा विवाद होने से आवेदन तहसील में किया गया था। तहसीलदार बाली के आदेश से पटवारी हल्का सेसली द्वारा मौके पर आकर सीमा ज्ञान किया गया था परंतु माठ का विवाद स्थायी तौर पर समाप्त नहीं होने से पत्थरगढी का उक्त आवेदन किया है अतः नियमानुसार पत्थरगढी के आदेश दिये जाने की दलील दी। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री नारायणसिंह सेसली ने दलील दी कि उनकी अनुपस्थिति में सीमाज्ञान हुआ है जिससे अप्रार्थी सहमत नहीं है यदि प्रार्थीगण को वर्तमान मौजूद सीमाओं के संबंध में कोई भ्रांति है तो भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार मैप से ही पुनः पैमाइश की जावे तथा पैमाइश के दौरान अप्रार्थी को आवश्यक रूप से सुचित किया जावे तथा वर्तमान मौजूद माठों में परिवर्तन होने की दशा में माठों में स्थित पेड नही काटें जावें।</p> <p>पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते हे कि प्रार्थीगण की धारित खातेदारी भूमि सेसली के खसरा नंबर 1053/966, 1054/966, 1055/966 रकबा क्रमशः 0.97 हैक्टर, 0.49 हैक्टर, 0.49 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सेसली के खसरा नंबर 967 रकबा 0.88 हैक्टर के जमाबंदी में दर्ज रकबा के अनुसार नाप-चौक करे, नाप-चौक के पश्चात जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल से भिन्नता पाई जावें तो तदनुसार जमाबंदी के क्षेत्रफल के अनुसार मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



2
सहायक कमिश्नर एवं आदेश देन
सुबखरु अधिकारी, बाली



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

क्रमांक: कोर्ट/2025/742

दिनांक : 17-6-2025

प्रार्थी
शिवसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति पुरोहित
निवासी सेसली तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण
जयसिंह पुत्र मगसिंह जाति पुरोहित
निवासी सेसली तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2024/210

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सेसली पटवारी हलका सेसली तहसील बाली के खसरा संख्या क्रमशः 1053/966, 1054/966, 1055/966 रकबा क्रमशः 0.97 हैक्टर, 0.49 हैक्टर, 0.49 हैक्टर के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रुपये 1000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक न्यायाधीश, पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बाली

दिनांक : 17-6-2025

क्रमांक: कोर्ट/2025/743 - 746

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना बाली
3. हल्का पटवारी सेसली को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. शिवसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति पुरोहित निवासी सेसली तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक न्यायाधीश, पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बाली